FO/1165/2023-SEC_3-EDU DEPT

**बिहार सरकार**
**शिक्षा विभाग**
**संकल्प**

पटना, दिनांक-21.01.2026

संचिका संख्या-03/आ01-140/2021 I/353591/श्री राजेन्द्र सिंह, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा के पत्रांक-269 दिनांक 09.10.2021 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किये गये थे, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-518 दिनांक 03.12.2021 द्वारा बचाव अभिकथन की मांग की गयी।

2. श्री सिंह से प्राप्त बचाव अभिकथन के समीक्षा में संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण आरोप पत्र का पुनर्गठन करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-87765 दिनांक 07.11.2023 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। आरोप पत्र में सरकारी कार्यों में लापरवाही, अपने दायित्वों का निर्वहन उचित ढंग से नहीं करने, स्वेच्छाचारिता, वित्तीय अनियमितता, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, सरकारी नियमों/परिपत्रों के विपरीत कार्य करने, सरकारी सेवक के आचरण के अनुरूप कार्य नहीं करने के आरोप अंतर्विष्ट हैं।

3. श्री राजेन्द्र सिंह के सेवानिवृत होने के कारण इस अनुशासनिक कार्रवाई को विभागीय आदेश संख्या 164167, दिनांक 09.10.2024 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) में सम्परिवर्तित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी श्री सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के पीत पत्र गै०स०प्रे०सं०-287 दिनांक 04.02.2025 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

5. उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है सिवान जिला के 10 प्रखण्डों में से दरौली, महाराजगंज एवं पचरुखी प्रखण्ड के कुछ शिक्षकों के अंतर वेतनादि भुगतान किया गया, शेष प्रखण्डों के शिक्षकों के अन्तर वेतनादि का भुगतान नहीं किया गया, तदनुसार मनमाने रूप से शिक्षकों के बकाया अन्तर राशि/महंगाई भत्ता आदि के भुगतान का आरोप प्रमाणित होता है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान द्वारा दिनांक 17.09.2021 से बार-बार निदेश दिया गया कि चयन सूची उपलब्ध कराए, परन्तु आरोपी पदाधिकार द्वारा जान-बूझ कर ससमय संबंधित संचिका जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित नहीं की गयी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान की पूर्ण सहमति के बिना सूची का निर्णय एवं प्रकाशन कराया गया, जिससे अपने दायित्वों का निर्वहन उचित ढंग से नहीं करने का आरोप प्रमाणित होता है। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा के पत्रांक - 1096 दिनांक 24.09.2021 में निहित निदेश का अनुपालन स्मारित किए जाने के बाद भी नहीं किया। आवश्यक पूर्ण कागजातों के साथ स्वयं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तथा लिपिक को आधा-अधूरा कागजात के साथ भेजकर खानापूर्ति का प्रयास किए जिससे स्वेच्छाचारिता का आरोप प्रमाणित होता है। जाँच प्रतिवेदन में यह वर्णित है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान द्वारा अमान्य संस्था के प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का पृष्ठांकन आदेश के बाद भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान प्रारम्भ कर दिया गया जिससे वित्तीय अनियमितता का आरोप प्रमाणित होता है।

E:\Manish

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य एवं कथन के समीक्षोपरान्त उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, सरकारी नियमों/परिपत्रों के विपरीत कार्य करने, सरकारी सेवक के आचरण के अनुरूप कार्य नहीं करने के आरोप भी प्रमाणित होने का प्रतिवेदन दिया गया है।

6. जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के आलोक में श्री सिंह से विभागीय पत्रांक–201774 दिनांक 11.02.2025 द्वारा लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। प्राप्त अभिकथन में आरोपित पदाधिकारी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। इनका कहना है कि उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी निदेशक प्राथमिक शिक्षा एवं प्रस्तुतीकरण क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा को नियुक्त किया गया। बाद में विभागीय ज्ञापांक–119510 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा संचालन पदाधिकारी को बदलते हुए श्री सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया और उनके द्वारा बगैर सुनवाई किए ही जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

7. इस मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई है। यह मामला सरकारी कार्यों में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, अमान्य संस्था के प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के आदेश के बाद भी वेतन भुगतान प्रारम्भ करने जैसी वित्तीय अनियमितता बरतने एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने से संबंधित है। जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित पाया गया है। विभागीय कार्यवाही में भी आरोपित पदाधिकारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का विवरण उपलब्ध है। कार्यवाही में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी से प्राप्त पक्ष पर आरोपित पदाधिकारी को पुनः सुनने की आवश्यकता नहीं समझे जाने तथा मंतव्य के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध रहने के कारण ही संचालन पदाधिकारी के द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। आरोपित पदाधिकारी के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो उनपर अधिरोपित एवं प्रमाणित पाए गए आरोपों को खंडित करे, अतएव इनके लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया।

8. श्री राजेंद्र सिंह के विरूद्ध प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (ख) के अंतर्गत "पेंशन से 5 वर्षों के लिए 5 प्रतिशत राशि की कटौती" की शास्ति विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

9. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4182 दिनांक–19.01.2026 द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत के विरुद्ध उपर्युक्त विनिश्चित शास्ति पर सहमति प्रदान की गई है।

10. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राजेन्द्र सिंह, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है–

**"पेंशन से 5 वर्षों के लिए 5 प्रतिशत राशि की कटौती"।**

**आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह./–

**(मनोरंजन कुमार)**

निदेशक (प्रशासन)



E:\Manish

ज्ञापांकः—03 / आ01—140 / 2021 ........ I/353591 / पटना, दिनांकः— 21.01.2026

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई. टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) / महालेखाकार, बिहार, पटना / माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / राज्य परियोजना निदेशक / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम / निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् / मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना / सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना / सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना / सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना / सभी निदेशक, शिक्षा विभाग / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विशेष निदेशक (मा0शि0) / सभी उप निदेशक / सभी संयुक्त निदेशक / सहायक निदेशक / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / श्री राजेन्द्र सिंह, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 21-01-2026 18:16:45
**निदेशक (प्रशासन)**

E:\Manish